म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, अरेरा हिल्स जेल रोड, किसान भवन भोपाल.

क./बोर्ड/यो./गै.त./भोज./35/19–20/271 भोपाल, दिनांक 25/05/2019

प्रति,

सचिव,
कृषि उपज मण्डी समिति..(समस्त)
जिला–...(म.प्र.)

विषय :– मंडियों में कृषकों एवं हम्माल तुलावटियों के लिये लागू 5/– रूपये प्रति थाली भोजन योजना के संबंध में।

संदर्भ:– 1. अपर संचालक, मण्डी बोर्ड भोपाल का कार्यालयीन पत्र कमांक/मण्डी/प्रांगण/विविध/भो./45/48/3956 दिनांक 30.12.2008
2. मुख्यालय का पत्र क./बोर्ड/यो./गै.त./भोज./35/19–20/183 भोपाल दिनांक 22.04.2019

00000

उपरोक्त विषयांतर्गत मण्डी प्रांगण में कृषक/हम्माल/तुलावटी के लिये संचालित 5/–रूपये प्रति थाली भोजन योजना के कियान्वयन एवं व्यय के संबंध में जारी दिशा–निर्देश अनुसार प्रपत्र एवं कूपन नमूना निम्नानुसार जारी किये जा रहे है :–

1. अपर संचालक, मण्डी बोर्ड भोपाल का कार्यालयीन पत्र कमांक/मण्डी/प्रांगण/विविध/भो./45/48/3956 दिनांक 30.12.2008 अनुसार समस्त मण्डी समितियों के मण्डी प्रांगण में अपनी कृषि उपज विकय करने आने वाले कृषकों को रियायती दर 5/–रूपये प्रति थाली भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है, "अ" एवं "ब" वर्ग की मण्डी समितियों में राशि रूपये 5/– के अतिरिक्त राशि का वहन मण्डी समितियों द्वारा किया जा रहा है, परन्तु मण्डी समितियां द्वारा कितना व्यय का भुगतान किया जा रहा है, जिसकी जानकारी मुख्यालय को प्राप्त नहीं हो रही है।

उक्त योजना के कियान्वयन एवं व्यय राशि के भुगतान में आर्थिक अनियमितता को नियंत्रित करने के लिये प्रपत्र "अ" तैयार किया गया है जिसके आधार उपसंचालक/संयुक्त संचालक, द्वारा अपनी अधीनस्थ मण्डी समितियों से जानकारी मंगाई जाकर परीक्षणोंपरांत अपनी अनुशंसा सहित मुख्यालय में प्रत्येक माह की 10 तारीख तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेगें।(प्रपत्र "अ" संलग्न है।)

2. अपर संचालक, मण्डी बोर्ड भोपाल का कार्यालयीन पत्र कमांक/मण्डी/प्रांगण/विविध/भो./45/48/3956 दिनांक 30.12.2008 अनुसार "स" वर्ग की मण्डी समितियों में रूपये 5/– प्रति थाली के अतिरिक्त राशि का 50 प्रतिशत मण्डी समिति द्वारा वहन किया जावेगा एवं 50 प्रतिशत राशि अनुदान के रूप में मण्डी बोर्ड से प्रदान की जावेगी एवं "द" वर्ग की मण्डी समितियों में राशि रूपये 5/– के अतिरिक्त राशि का 100 प्रतिशत राशि मण्डी बोर्ड द्वारा अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है।

उपरोक्त अनुसार अनुदान राशि के भुगतान के लिये मांग पत्र निर्धारित प्रपत्र "क" में मण्डी समितियों द्वारा आंचलिक कार्यालय को प्रेषित किया जाता है एवं आंचलिक कार्यालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र "ख" में अनुशंसा सहित मुख्यालय को प्रेषित किया जाता है।

कार्यालयीन पत्र क./बोर्ड/योजना/गैर.तक./77/2018–19/876–877 दिनांक 21.05.2018 द्वारा उक्त योजना में कृषकों की भांति प्रदेश की मण्डी समितियों में कार्यरत अनुज्ञप्तिधारी हम्माल एवं तुलावटियों को भी शामिल किया गया है।

उपरोक्त संशोधन उपरांत प्रपत्र "क" एवं "ख" में भी संशोधन की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए अनुदान राशि के मांग पत्र प्रपत्र "क" एवं "ख" के संशोधित प्रारूप संलग्न प्रेषित हैं।

3. प्रदेश की मण्डी समितियों में संचालित कृषकों एवं हम्माल/तुलावटियों के लिये 5/–रूपये थाली भोजन योजना अंतर्गत कृषकों/हम्मालों/तुलावटियों को जारी किये जाने वाले भोजन कूपनों में समस्त मण्डी समितियों में भिन्नता होने के कारण योजना अंतर्गत प्रकरणों में हो रही अनियमितताओं की जांच आदि में व्यावाहरिक कठिनाई को दृष्टिगत रखते हुए समस्त कृषि उपज मण्डी समितियों एक समान कूपन जारी किये जाने हेतु कूपन नमूना संलग्न प्रेषित है।

अतः उपरोक्त बिन्दुओं का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

(फैज़ अहमद किदवई)
प्रबंध संचालक–सह–आयुक्त
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल.

क./बोर्ड/यो./गै.त./भोज./35/19–20/272 भोपाल, दिनांक 25/05/2019

प्रतिलिपिः–

1. अपर संचालक/संयुक्त संचालक/उपसंचालक (समस्त) मण्डी बोर्ड, मुख्यालय भोपाल सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. संयुक्त संचालक/उप संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय– ....(समस्त) पालनार्थ प्रेषित।
3. उपसंचालक/चीफ प्रोग्रामर, एम.आई.एस.शाखा मण्डी बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल.

प्रबंध संचालक–सह–आयुक्त
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल.

"क" एवं " ख" वर्ग की मण्डी समितियों में संचालित कृषक भोजनालय पर हुए व्यय की मासिक जानकारी।

1. माह..........................वर्ष..................................
2. मण्डी समिति का नाम...जिला..................................मण्डी समिति का वर्ग.................................
3. मण्डी समिति द्वारा भोजन के लिये स्वीकृत प्रति थाली दर रूपये....................................

मण्डी समिति में कृषकों को जारी की गई प्रवेश पर्ची/अनुबंध पत्रों की संख्या		कृषकों को माह में भोजन हेतु जारी कूपनों की संख्या	माह में भोजन करने वाले कृषकों की संख्या	माह में मण्डी समिति में कार्यरत हम्माल/तुलावटियों की कुल संख्या		माह में मण्डी समिति में कार्यरत हम्माल/तुलावटियों को जारी कूपनों की कुल संख्या		माह में भोजन करने वाले हम्माल/तुलावटियों की कुल संख्या		भोजनालय के ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत देयकों का विवरण रूपये 5/-थाली के उपर भुगतान योग्य राशि		राशि	माह में मण्डी समिति द्वारा कूपनजारीकर्ता द्वारा संधारित पंजी एवं भोजन केन्टीन संचालक द्वारा संधारित पंजी का परीक्षण करने पर पाई गई वस्तुस्थिति	भोजनालय संचालक को किये गये भुगतान की राशि	रिमार्क
प्रवेश पर्ची	अनुबंध पर्ची			हम्माल	तुलावटी	हम्माल	तुलावटी	हम्माल	तुलावटी	कूपनों की संख्या	भोजनकर्ता कषक एवं हम्माल/तुलावटियों की संख्या				
01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.	09.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.

सचिव
कृषि उपज मण्डी समिति..
जिला..(म0प्र0)

संयुक्त संचालक/उपसंचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय–..................................(म0प्र0)

''ग'' एवं ''घ'' वर्ग की मण्डी समितियों में भोजन व्यवस्था पर होने वाले व्यय से संबंधित अनुदान की जानकारी।

माह......................... वर्ष.................................

मण्डी समिति का नाम.. जिला.................................. मण्डी समिति का वर्ग....................................

मण्डी समिति द्वारा भोजन के लिये स्वीकृत प्रति थाली दर रूपये.................................

मण्डी समिति में कृषकों को जारी की गई प्रवेश पर्ची/अनुबंध पत्रों की संख्या		कृषकों को माह में भोजन हेतु जारी कूपनों की संख्या	माह में भोजन करने वाले कृषकों की संख्या	माह में मण्डी समिति में कार्यरत हम्माल/तुलावटियों की कुल संख्या		माह में मण्डी समिति में कार्यरत हम्माल/तुलावटियों को जारी कूपनों की कुल संख्या		माह में भोजन करने वाले हम्माल/तुलावटियों की कुल संख्या		भोजनालय के ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत देयकों का विवरण रूपये 5/–थाली के उपर भुगतान योग्य राशि		राशि	माह में मण्डी समिति द्वारा कूपनजारीकर्ता द्वारा संधारित पंजी एवं भोजन केन्टीन संचालक द्वारा संधारित पंजी का परीक्षण करने पर पाई गई वस्तुस्थिति	भोजनालय संचालक को किये जाने वाले भुगतान की राशि	रिमार्क
प्रवेश पर्ची	अनुबंध पर्ची			हम्माल	तुलावटी	हम्माल	तुलावटी	हम्माल	तुलावटी	कूपनों की संख्या	भोजनकर्ता कषक एवं हम्माल/तुलावटियों की संख्या				
01	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.			09.	10.	11.	12.	13.	14.
योग–															

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त समस्त जानकारी मण्डी समिति में उपलब्ध प्रवेश पर्ची, अनुबंध पर्ची, हम्माल/तुलावटियों की उपस्थित के आधार पर जारी कूपन तथा ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत देयकों के आधार पर ही प्रस्तुत की गई है तथा यह समस्त अभिलेख मण्डी समिति के कार्यालय में सुचारू रूप से संधारित कर लिये गये हैं। मण्डी समिति को उक्त व्यवस्था पर हुए कुल व्यय रूपये ....में से अनुदान राशि रूपये ....(शब्दों में रूपये..) की पात्रता आती है। जिसकी मांग प्रस्तुत की जाती है।

सचिव
कृषि उपज मण्डी समिति...
जिला..(म0प्र0)

प्रपत्र ''ख''

अधीनस्थ ''ग'' एवं ''घ'' वर्ग की मण्डी समितियों में भोजन व्यवस्था पर होने वाले व्यय से संबंधित अनुदान प्रस्ताव।

माह.........................वर्ष................................

क्र.	मण्डी का नाम	मण्डी का वर्ग	मण्डी समिति में माह में भोजन व्यवस्था पर हुए कुल व्यय का विवरण						संबंधित मण्डी सचिव को दिये जाने वाले अनुदान की राशि
			जारी प्रवेश पर्ची/अनुबंध पर्ची की संख्या	कुल उपस्थिति		कृषकों/हम्मालों/तुलावटियों को जारी कूपनों की संख्या	ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत देयक की राशि	ठेकेदार द्वारा देय/भुगतान योग राशि	
				हम्मालों की संख्या	तुलावटियों की संख्या				
01	02.	03.	04.			05.	06.	07.	08.
योग–									

प्रमाणित किया जाता है कि मण्डी समितियों में संचालित भोजनालय पर होने वाले व्यय के अनुदान के रूप में स्वीकृत करने के लिये तैयार किया गया उक्त प्रस्ताव मण्डी समिति से प्राप्त जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालय में उपलब्ध जानकारी के आधार पर मण्डी समितियों में भोजन व्यवस्था संचालित है। उपरोक्तानुसार अनुदान राशि रूपये..............................(शब्दों में रूपये..) विमुक्त करने की अनुशंसा की जाती है।

संयुक्त संचालक/उपसंचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय–.................................(म0प्र0)

भोजन कूपन

कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति ....
जिला..(म0प्र0)

बुक कमांक.................................

कूपन कमांक............................जारी दिनांक............................

कृषक का नाम...सहयोगी कृषक का नाम..

प्रवेश पर्ची/अनुबंध पर्ची का कमांक..दिनांक..

हम्माल का नाम...तुलावटी का नाम..

अनुज्ञप्ति कमांक.................................वैधता दिनांक (कब से कब तक).....................................

पता...

जारीकर्ता के हस्ताक्षर.........
नाम एवं पद नाम की सील

....

नोट :- इस कूपन के साथ रूपये 5/- नगद भोजनालय में जमा कर भोजन करें।